

## 2019 का विधेयक सं. 23

### राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वैयक्तिक स्वतंत्रता संरक्षित करने के हित में और पीड़ित किये जाने से रोकने, सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले विधिविरुद्ध जमावों और अन्य आचरण का प्रतिषेध करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध अधिनियम, 2019 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. परिभाषाएं.-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "जमा होना", "इकट्ठा होना" या "एकत्र होना" में किसी प्रौद्योगिक साधन या माध्यम के उपयोग से मिलकर कृत्य करना सम्मिलित है;

(ख) "स्वतंत्रता को संकटापन्न करना" में ऐसे कृत्य, जिनसे सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक अथवा आर्थिक अनुशास्तियों को लागू किये जाने के प्रति अग्रसरण होता है, सम्मिलित हैं और इसके अंतर्गत विशिष्टतया निम्नलिखित कृत्य भी आते हैं, अर्थात्:-

(i) युगल या उनके कुटुंब या नातेदारों को संबंधित ग्राम या निवास का क्षेत्र छोड़ने के लिए दबाव डालना;

(ii) ऐसे किसी भी आचरण में लिप्त होना जो बाजार, सामुदायिक सुविधा, पूजा-स्थल या जीवन की किन्हीं भी अन्य आवश्यकताओं के प्रति पहुंचने में अड़चन डालेगा या जिससे अड़चन डालना संभाव्य है;

(iii) युगल या उनके कुटुंब को उनकी किसी भी भूमि या संपत्ति से निर्निहित या बेदखल करना या किसी प्रकार के जुर्माने या शास्ति का अधिरोपण;

(iv) उत्पीड़न का कोई भी अन्य कृत्य, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक;

(ग) "विवाह" में प्रस्थापित या आशयित विवाह सम्मिलित है;

(घ) "विधिविरुद्ध जमाव" से दो या अधिक व्यक्तियों का जमा होना, इकट्ठा होना या एकत्र होना अभिप्रेत है;

(ङ) ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त की गयी हैं, किन्तु परिभाषित नहीं की गयी हैं, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में परिभाषित की गयी हैं, वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) या, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) में दिये गये हैं।

**3. विधिविरुद्ध जमाव.-** (1) कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई भी समूह ऐसे किसी विवाह पर, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं है, इस आधार पर कि ऐसे विवाह से जाति या सामुदायिक परम्परा का अनादर हुआ है या जमाव के भागरूप सभी व्यक्तियों या उनमें से किसी व्यक्ति या कुटुंब या संबंधित परिक्षेत्र के लोगों की बदनामी हुई है, उस

पर विमर्श करने या उसकी निन्दा करने की दृष्टि या आशय से किसी भी समय एकत्र, जमा या इकट्ठे नहीं होंगे।

(2) इस प्रकार एकत्र होना या जमा होना या इकट्ठा होना विधिविरुद्ध माना जायेगा और ऐसे जमाव को बुलाने या संगठित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति और उसमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, भी दंडनीय होगा।

**4. स्वतंत्रता को संकटापन्न करना.-** (1) विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य जो उसके अग्रसरण में, ऐसे विवाह को, जिस पर उक्त सदस्यों द्वारा आपत्ति की जाती है, रोकने या अननुमोदित करने के लिए या ऐसे युगल या उनमें से किसी के या उनके समर्थकों के प्रति प्रतिकूल परिवेश उत्पन्न करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों पर वैयक्तिक या सामूहिक रूप से, खुले रूप से या अन्यथा, सलाह देता है, प्रबोधित करता है या दबाव डालता है, उनकी स्वतंत्रता का संकटापन्न करने में कृत्य करता हुआ समझा जायेगा और संकटापन्न करने का ऐसा कृत्य ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का सकेगा, भी दंडनीय होगा।

(2) विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य की प्रेरणा पर या अन्यथा, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट युगल की या उनमें से किसी के या उनके समर्थकों की स्वतंत्रता को संकटापन्न करने के कार्यों में लिप्त कोई अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार दंडनीय होगा।

**5. आपराधिक अभिन्नास.-** विधिविरुद्ध जमाव का कोई सदस्य या उसकी प्रेरणा पर या अन्यथा कृत्य करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति जो ऐसे विवाह, जिस पर आपत्ति की जा रही है, से संबंधित उस जमाव के विधिविरुद्ध विनिश्चय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए युगल या उनमें से किसी के या उनके नातेदारों या समर्थकों के आपराधिक

अभिवास में लिप्त होता है, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, भी दंडनीय होगा:

परन्तु यदि धमकी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 506 के दूसरे भाग में निर्दिष्ट प्रकार की अपहानि या क्षति कारित करने की है तो अधिकतम कारावास सात वर्ष तक का हो सकेगा।

**स्पष्टीकरण.-** अभिव्यक्ति 'आपराधिक अभिवास' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 503 में दिया गया है।

**6. उपधारणा.-** विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को धारा 4 और 5 के अधीन अपराध कारित करने या दुष्प्रेरण करने का भी आशय रखने वाला उपधारित किया जायेगा।

**7. सम्मान के नाम पर मृत्यु या शारीरिक क्षति कारित करना.-** (1) जो कोई भी, किसी युगल या उनमें से किसी की मृत्यु इस आधार पर कारित करता है कि ऐसे युगल के विवाह से जाति, समुदाय या कुटुंब का अनादर हुआ है या बदनामी हुई है, वह मृत्यु से या आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

(2) जो कोई भी, किसी युगल या उनमें से किसी को घोर उपहति इस आधार पर कारित करता है कि ऐसे युगल के विवाह से जाति, समुदाय या कुटुंब का अनादर हुआ है या बदनामी हुई है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

(3) जो कोई भी, किसी युगल या उनमें से किसी को सादा उपहति इस आधार पर कारित करता है कि ऐसे युगल के विवाह से जाति, समुदाय या कुटुंब का अनादर हुआ है या बदनामी हुई है, वह ऐसी

अवधि के कठोर कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

**8. दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षडयंत्र के लिए दण्ड.-** जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के कारित किये जाने का दुष्प्रेरण, प्रयत्न या षडयंत्र करता है वह उसी रीति से दण्डित किया जायेगा मानोकि उसने स्वयं वह अपराध किया है।

**9. कतिपय कार्यों को प्रतिषिद्ध करने और निवारक उपाय करने की शक्ति.-** (1) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से, जो किसी विधिविरुद्ध जमाव से या किसी अन्य व्यक्ति से, जिनकी किसी विधिपूर्ण विवाह पर आपत्ति किये जाने की संभावना है या कर रहे हैं, संरक्षण चाहते हैं, कोई अनुरोध या जानकारी प्राप्त करेगा।

(2) जहां उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट किसी भी स्रोत से यह जानकारी प्राप्त करता है कि प्रस्थापित या अनुष्ठापित किसी भी विवाह की आपत्तिजनक रूप में निन्दा करने के लिए खुले रूप से या गोपनीय रूप से जमाव बुलाये जाने की संभावना है तो वह, आदेश द्वारा, उस आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध कारित किये जाने के लिए ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के बुलाये जाने और कोई भी कृत्य किये जाने का, प्रतिषेध करेगा।

(3) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम उठा सकेगा जो ऐसे आदेश को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों जिनमें संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को समुचित निदेश देना सम्मिलित है।

(4) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ऐसे कदम भी उठा सकेगा जो विधिविरुद्ध जमाव द्वारा किये गये अवैध विनिश्चय के अनुसरण में लक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(5) उपखंड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्तियों के संरक्षण और सुरक्षा का सीधे पर्यवेक्षण करेगा।

**10. इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण.-** (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध उच्च न्यायालय द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किसी सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

(2) इस प्रकार अधिसूचित सेशन न्यायालय ऐसे तथ्यों के परिवाद प्राप्त होने पर, जिनसे ऐसा अपराध गठित होता है या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर, अभियुक्त को उसके विचारण के लिए सुपुर्द किये बिना, किसी भी अपराध का संज्ञान कर सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, अधिसूचित सेशन न्यायालय ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंधों के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जा सकेगा यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संबंधित हो।

(4) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम या किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध कारित किया है तो अधिसूचित न्यायालय ऐसे अन्य अपराध के लिए भी ऐसे व्यक्ति को दोषसिद्ध कर सकेगा और उस पर विधि द्वारा प्राधिकृत समुचित दंडादेश पारित कर सकेगा।

**11. अपराधों का संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होना.-** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय और अशमनीय होंगे।

**12. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का लागू होना.-** इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974

का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

**13. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.-** इस अधिनियम के उपबंध, सिवाय उस सीमा तक, जहां तक कि इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के उपबंधों से असंगत न हों, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

---

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

कुटुंब, जाति या समुदाय के सम्मान की रक्षा करने के नाम पर दो सहमत वयस्कों के बीच सगोत्र, अन्तर-जातीय और अन्तर-समुदायिक और अन्तर-धार्मिक विवाहों के विरुद्ध दबाव डालने के लिए स्व-नियोजित निकायों द्वारा अवैध अभित्रास के मामलों में अचानक तीव्र वृद्धि हुई है। कई मामलों में, ऐसे निकायों ने हिंसा के उद्दीपन का अवलंब लिया है और ऐसे नव विवाहित युगलों या विवाह करने के इच्छुक व्यक्तियों को अभित्रास या हिंसा झेलनी पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप उनका, उनके घरों तक पीछा किया जाता है और कभी-कभी तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। यद्यपि ऐसे अभित्रास या हिंसा के कृत्य भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध गठित करते हैं तथापि, ऐसे जमाव को रोकना आवश्यक है जो ऐसे संबंधों की निन्दा करने के लिए होते हैं। इसके साथ ही हिंसा और आपराधिक अभित्रास के ऐसे कृत्यों को कठोरतापूर्वक दंडित किया जाना भी आवश्यक है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,  
प्रभारी मंत्री।



**Bill No. 23 of 2019**

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PROHIBITION OF INTERFERENCE  
WITH THE FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES  
IN THE NAME OF HONOUR AND TRADITION BILL, 2019**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

to provide for, in the interests of protecting individual liberty and preventing victimization, prohibition of unlawful assemblies and other conduct interfering with the freedom of matrimonial alliances in the name of honour and tradition and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.** - (1) This Act may be called the Rajasthan Prohibition of Interference with the Freedom of Matrimonial Alliances in the Name of Honour and Tradition Act, 2019.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “assemble”, “congregate” or “gather” includes acting in concert through the use of any technological means or medium;

(b) “endangerment of liberty” includes the acts calculated to lead to social boycott or enforcement of social or economic sanctions and in particular, includes the following acts, namely:-

(i) Bringing to bear pressure on the couple or their families or relatives to leave the village or area of residence concerned;

(ii) Indulging in any conduct which will impede or is likely to impede, access to markets, community facilities, places of worship or any other necessities of life;

(iii) Divesting or dispossessing the couple or their families of any land or property belonging to them or imposition of fine or penalty of any kind;

(iv) Any other act of harassment whether physical or mental;

(c) "marriage" includes proposed or intended marriage;

(d) "unlawful assembly" means an assembly, congregation or gathering of two or more persons;

(e) Words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) or the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) shall have the meanings assigned to them respectively in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), or as the case may be, in the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

**3. Unlawful Assembly.-** (1) No person or any group of persons shall gather, assemble or congregate at any time with the view or intention to deliberate on, or condemning any marriage, not prohibited by law, on the basis that such marriage has dishonoured the caste or community tradition or brought disrepute to all or any of the persons forming part of the assembly or the family or the people of the locality concerned.

(2) Such gathering or assembly or congregation shall be treated unlawful and every person convening or organizing such assembly and every member thereof participating therein directly or indirectly shall be punishable with imprisonment for a term not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

**4. Endangerment of liberty.-** (1) The members of an unlawful assembly, who in furtherance thereof individually or collectively counsel, exhort or bring pressure openly or otherwise upon any person or persons to prevent or disapprove of the marriage, which is objected to by the said members, or to generate an environment of hostility towards such couple or either of them or their supporters, shall be deemed to have acted in endangerment of their liberty and such an act of endangerment shall be punishable with imprisonment for a term not less than two years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to one lakh rupees.

(2) Any other person at the instance of any member of unlawful assembly or otherwise indulging in the acts of endangerment of liberty of the couple referred to in sub-section (1) or either of them or their supporters shall also be punishable likewise.

**5. Criminal Intimidation.-** Any member or members of an unlawful assembly or any other person acting at their instance or otherwise who, with a view to secure compliance with the illegal decision of that assembly in relation to the marriage that is being objected to, indulges in criminal intimidation of the couple or either of them or their relatives or supporters shall be punishable with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which may extend to two lakh rupees:

Provided that if the threat be to cause harm or injury of the description referred to in second part of section 506 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860), the maximum imprisonment shall extend to seven years.

**Explanation.-** The expression ‘criminal intimidation’ shall have the same meaning as is given to it in section 503 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

**6. Presumption.-** Every person participating in an unlawful assembly shall be presumed to have also intended to commit or abet the commission of offences under sections 4 and 5.

**7. Causing death or bodily injury in the name of**

**honour.-** (1) Whoever causes death of a couple or either of them on the basis that marriage of such couple has dishonoured, or brought disrepute to, the caste, community or family shall be punished with death, or with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine which may extend to five lakh rupees.

(2) Whoever causes grievous hurt to a couple or either of them on the basis that marriage of such couple has dishonoured, or brought disrepute to, the caste, community or family shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life and with fine which may extend to three lakh rupees.

(3) Whoever causes simple hurt to a couple or either of them on the basis that marriage of such couple has dishonoured, or brought disrepute to, the caste, community or family shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to five years and with fine which may extend to two lakh rupees.

**8. Punishment for abetment, attempt or conspiracy .-**

Whoever abets, attempts or conspires to commit an offence under this Act shall be punished in the same manner as if he had himself committed that offence.

**9. Power to prohibit certain acts and taking preventive**

**measures.-** (1) The Sub Divisional Magistrate or the District Magistrate shall receive any request or information from any person or persons seeking protection from any unlawful assembly or from any other person who are likely to or who have been objecting to any lawful marriage.

(2) Where the Sub Divisional Magistrate or the District Magistrate receives information from any source that there is a likelihood of convening of an assembly openly or in secrecy to condemn as objectionable any marriage proposed or solemnized, he shall, by order, prohibit the convening of such unlawful assembly and doing of any act towards the commission of any

offence under this Act by any person in any area specified in the order.

(3) The Sub Divisional Magistrate or the District Magistrate may take such steps as may be necessary to give effect to such order including giving appropriate directions to the police authorities concerned.

(4) The Sub Divisional Magistrate or District Magistrate shall also take such steps as may be necessary to ensure the safety of the persons targeted pursuant to the illegal decision taken by the unlawful assembly.

(5) The Sub Divisional Magistrate or the District Magistrate shall be in direct supervision of the protection and safety of the persons concerned.

**10. Trial of offences under this Act.-** (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), all offences under this Act shall be triable by a Court of Session specified by the High Court by notification in the Official Gazette.

(2) The Court of Session so notified may take cognizance of any offence without the accused being committed to it for trial upon receiving a complaint of facts which constitutes such offence, or upon a police report of such facts.

(3) When trying any offence under this Act, the notified Court of Session may also try any other offence with which the accused may, under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), be charged at the same trial if the offence is connected with such other offence.

(4) If, in the course of any trial of any offence under this Act, it is found that the accused person has committed any other offence under this Act or any other law, the notified Court may convict such person also of such other offence and pass appropriate sentence authorized by that law.

**11. Offences to be cognizable, non-bailable and non-compoundable.-** Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), all

offences under this Act shall be cognizable, non- bailable and non-compoundable.

**12. Application of Code of Criminal Procedure, 1973.-**

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of the Code of Criminal procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974) shall apply to the proceedings under this Act.

**13. Act to be in addition to any other law.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force except to the extent the provisions of other laws are inconsistent with the provisions of this Act.

---

**STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS**

There has been a spurt in illegal intimidation by self-appointed bodies for bringing pressure against Sagotra marriages and inter-caste, inter-community and inter-religious marriages between two consenting adults in the name of vindicating the honour of family, caste or community. In a number of cases, such bodies have resorted to incitement of violence and such newly married couple or persons desirous of getting married have been subjected to intimidation and violence which has also resulted into their being hounded out of their homes and sometimes even murdered. Although such intimidation or acts of violence constitute offences under the Indian Penal Code, yet, it is necessary to prevent assemblies which take place to condemn such alliances as also to punish such acts of violence and criminal intimidation severely.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,  
**Minister Incharge.**

राजस्थान सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की  
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिषेध विधेयक, 2019



(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

---

वैयक्तिक स्वतंत्रता संरक्षित करने के हित में और पीड़ित किये जाने से रोकने, सम्मान और परम्परा के नाम पर वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने वाले विधिविरुद्ध जमावों और अन्य आचरण का प्रतिषेध करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

प्रमिल कुमार माथुर,  
सचिव।

(अशोक गहलोट, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 23 of 2019**

**THE RAJASTHAN PROHIBITION OF INTERFERENCE  
WITH THE FREEDOM OF MATRIMONIAL ALLIANCES  
IN THE NAME OF HONOUR AND TRADITION BILL, 2019**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

to provide for, in the interests of protecting individual liberty and preventing victimization, prohibition of unlawful assemblies and other conduct interfering with the freedom of matrimonial alliances in the name of honour and tradition and for the matters connected therewith or incidental thereto.

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

**PRAMIL KUMAR MATHUR,**  
**Secretary.**

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)